

र में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रेयतों) का नामान्तरण (दाखिल खारिज) दिखाने वाला शुद्धि-पत्र

हल्का.....गुमला.....स्टेट का नाम.....झारखण्ड.....

गाँव	थाना और थाना संख्या	नामान्तरण से सम्बद्ध अभिवृत्ति की संख्या	नामान्तरण मंजूर करनेवाला प्राधिकार और आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है- बिक्री, दान, विनिमय उत्तराधिकार या बंटवारा हुआ है?	नामान्तरण प्रभावित विनिमय का पूरा व्योरा	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजी किस तारीख को शुद्ध की गई?	अभ्युक्ति
3	4	5	6	7	8	9	10
<u>गुमला</u>	<u>गुमला</u> सं०-66	<u>106</u> : <u>101.0</u> : <u>581</u> : <u>89</u>	<u>अंचल अधिकारी</u> <u>गुमला</u> दि०-05-7-11	<u>अनुवाद सं०</u> <u>1123/10-11</u> <u>31.3.11</u> <u>रख</u> <u>रजि० पट्टा सं०</u> <u>1819</u> <u>27.6.11</u>	<u>पुराना रेयत का नाम-</u> <u>घुसुन पाहन-को-उतरु</u> <u>पाहन के शुद्ध पाहन-</u> <u>को-शुद्ध पाहन-</u> <u>वल्लद मिर्जा पाहन</u> <u>नया रेयत का नाम-</u> <u>मीलिमा गुजर पीर=</u> <u>श्रीधर कुंवर, राम</u> <u>कुंवर, जेनापुर, भाना-</u> <u>को-जिला= गुमला।</u>	<u>195</u> <u>18</u>	<u>Page No.</u> <u>78</u> <u>Vol. I</u>

दि० सं० 24/8-27/11-12

....., तारीख..... 20.....

व्या..... की जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाती है।

मीलिमा गुजर

अंचल अधिकारी
गुमला।
25/7/11